12 11/6

आवेदक द्वारा श्री सागरसिंह कंषाना अधिवक्ता। अनावेदक क्रमांक ०१ व ०२ अनिर्वाहित । अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री संजय दीक्षित अधिवक्ता। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के

समक्ष प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्ष की ओर से समझौता करना व्यक्त किया गया। आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से लोक अदालत में समझौते हेतु सहमति का आवेदन पात्र एवं डॉकेट तैयार कर प्रस्तुत किया गयाँ, जिसके मुताबिक उभयपक्षों के मध्य प्रकरण की विचाराधीन सडक दुर्घटना में आवेदक को पहुंची क्षति के लिए अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी आवेदक को एकमुश्त(पन्यपन हाजाट) 55,000 / - रूपये क्षतिपूर्ति राशि देने पर सहमत हुई, आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि से संतुष्ट है। उभयपक्षों द्वारा समझौता स्वेच्छापूर्वक

किया जाना पाया जाता है, आवेदक की पहचान श्री सागर सिंह कंषाना आवेदक अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः विचारोपरांत समझौता स्वीकार किया जाता है, समझौते के आधार पर आवेदक के पक्ष में अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी को निर्देशित करते हुए इस आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है, कि अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी आवेदक को कथित दुर्घटना में पहुंची क्षिति के एवज में एकमुश्त (प्रचपन हजार 55,000 / —रूपये क्षतिपूर्ति राशि विधिवत एक माह के अंदर भुगतान हेतु जमा करे जो राशि आवेदक को उसके राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बचत / चालू खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समझौते के आधार पर समाप्त की जाती

है।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण विधिवत नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा किया

जावे।

(पी०सी) आर्य) | पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ कं—20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ कं—20, गोहद जिला भिण्ड

(के0पी0 राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ कं—20, गोहद जिला भिण्ड